न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 192/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी (इंडिया) फिनलीजकेप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) रजिस्टर्ड कार्यालय – 2, डी.एफ.एल. टॉवर, गोपीनाथ मार्ग, एम आई रोड़, जयपुर–302001 – जरिये प्राधिकृत अधिकारी आनन्द राव

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **गोम सिंह पुत्र दीन सिंह बिहारी**
   प्रथम पताः– 38, बिहारीपुर, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, (राज.)
   अन्य पताः– पट्टा नंबर 16, ग्राम बिहारीपुर, तहसील नीम का थाना, सीकर
2. **बलवीर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह,** निवासी वार्ड नम्बर 02, राजपूतों का मोहल्ला, बिहारीपुर, जिला सीकर, राजस्थान – 332718
3. **राजेश कंवर पत्नि बलवीर सिंह,** निवासी वार्ड नम्बर 02, राजपूतों का मोहल्ला, बिहारीपुर, जिला सीकर, राजस्थान – 332718

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः– 27 अक्टूबर, 2025

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट * सीकर (राज.) *

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **गोम सिंह पुत्र दीन सिंह बिहारी, बलवीर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, रणजीत सिंह पुत्र मूल सिंह दरोगा** एवं **राजेश कंवर पत्नि बलवीर सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **गोम सिंह पुत्र दीन सिंह बिहारी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

आवासीय प्लॉट, पट्टा नम्बर 16, बिहारीपुर, पंचायत समिति पाटन, तहसील नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 194.44 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में श्रवणसिंह कानसिंह का मकान, पश्चिम दिशा में बाबुलाल जयसिंह का खेत, उत्तर दिशा में सुगनराम मीणा का मकान एवं दक्षिण दिशा में मेन रोड़ स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक बनाकर **कुल ₹6,60,000/– (अक्षरे रूपये छः लाख साठ हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **07.03.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **07.03.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **गोम सिंह पुत्र दीन सिंह बिहारी, बलवीर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, रणजीत सिंह पुत्र मूल सिंह दरोगा** एवं **राजेश कंवर पत्नि बलवीर सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **गोम सिंह पुत्र दीन सिंह बिहारी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

आवासीय प्लॉट, पट्टा नम्बर 16, बिहारीपुर, पंचायत समिति पाटन, तहसील नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 194.44 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं–पूरब दिशा में श्रवणसिंह कानसिंह का मकान, पश्चिम दिशा में बाबुलाल जयसिंह का खेत, उत्तर दिशा में सुगनराम मीणा का मकान एवं दक्षिण दिशा में मेन रोड़ स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **27 अक्टूबर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)